श्री कृष्ण कुमार सिंह, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0-103/2017 से उद्भूत आश्वासन संख्या-04/2017 से संबंधित अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन / आश्वासन	अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन
(क) क्या यह सही है कि सन् 1975 में सोन में बाढ़ आने के कारण पूरा पटना जलमग्न हो गया था तब पानी निकलते ही केन्द्र सरकार ने सैदाबाद से लेकर मनेर तक सोन सुरक्षा बांध का निर्माण कराया था। (ख) क्या यह सही है कि बालू माफियाओं ने मोन सुरक्षा तटबंध को क्षतिग्रस्त कर रास्ता बनाते हुए ट्रक, ट्रेक्टर दौड़ा रहे है जिससे बाध कि हालत खराब हो गई है। (ग) क्या यह सही है कि उक्त तटबंध में कटाव जारी रहा तो 1075 जैसी हालत पटना में फिर से हो सकती है। (घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक तो क्या सरकार बालू माफियाओं पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?	स्वीकारात्मक । वर्ष 1975 के बाद सोन नदी के दाये भाग में बाढ़ से सुरक्षा हेतु सैदाबाद से मनेर तक 26.89 कि.मी. की लम्बाई में बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंध का निर्माण कराया गया था । वस्तुस्थिति यह है कि बिहटा प्रखंड के अन्तर्गत कोडिया, कटेसर, अमनाबाद आदि ग्राम के पास तटबंध पर बालू ढुलाई के कार्य में लगे ट्रकों एवं ट्रैक्टरों का परिचालन होता है जिससे बांध का सतह क्षतिग्रस्त हुआ है क्योंकि इस भाग में बांध का सतह कच्चा है। विदित हो कि उक्त तटबंध के सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निविदा आमंत्रित की जा चुकी है जिसे मार्च, 2018 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। वर्तमान में तटबंध में कोई कटाव नहीं हो रहा है। बालू ढुलाई कार्य में लगे वाहनों के तटबंध पर आवागमन का मामला प्रकाश में आने पर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर इसे रोकने की कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को भी सतत् निगरानी का निदेश विभागीय पत्रांक-1212 दिनांक-15.03.2017 द्वारा दिया गया है। **आश्वासन:- सैदाबाद-मनेर तटबंध के सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, जिसे मार्च, 2018 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।**	वस्तुस्थिति यह है कि सैदाबाद-मनेर तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 26.89 तक सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य रू० 4883.49 लाख की लागत से दिनांक-31.03.2019 तक पूर्ण कर लिया गया है । अत: इसे लंबित आश्वासन की सूची से विलोपित किया जा सकता है ।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–01–23 / 2023..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना के पत्रांक–214 दिनांक–12.02.2018 के आलोक में अल्पसूचित प्रश्न सं0–103 / 2017 से उदभूत् आश्वासन सं0–04 / 2017 का अनुमोदित अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं अनुरोध है कि इसे लंबित आश्वासन की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–01–23 / 2023..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–01–23 / 2023..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मो0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–01–23 / 2023 5747 पटना / दिनांक : 30/9/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव